

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: ५५० /नियोजन/ 2004

दिनांक: 7-12-04

सेवा में,

श्री सीमान्त जैन,
सचिव,
मै० हरीश चन्द मैनादेवी मेमोरियल,
ट्रस्ट सोसाइटी, 49 साकेत, मेरठ।

कृपया आप द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित पत्र दिनांक 25.11.04 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आप द्वारा ग्राम सलारपुर जलालपुर में स्थित जिन खसरा नम्बरान के बारे में भू-उपयोग सम्बन्धी सूचना चाही है वह मेरठ महायोजना-2001 व मेरठ महायोजना-2021 (प्रारूप) के अनुसार निम्नवत है:-

खसरा नं० ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ।	मेरठ महायोजना 2001 के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित मेरठ महायोजना-2021 (प्रारूप)के अनुरूप भू-उपयोग
383	आवासीय(मध्यम घनत्व)	मिश्रित आवासीय क्षेत्र
385	आवासीय एवं आंशिक मेरठ मवाना महायोजना 60मी० चौड़े मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित	मिश्रित आवासीय क्षेत्र एवं आंशिक मेरठ मवाना महायोजना 60 मी० चौड़े मार्ग से प्रभावित
386	आंशिक आवासीय मध्यम घनत्व एवं आंशिक शैक्षिक	आंशिक मिश्रित आवासीय क्षेत्र एवं आंशिक शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
387	आंशिक आवासीय मध्यम घनत्व आंशिक 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना मार्ग की चौड़ाई के अन्तर्गत एवं शेष भाग शैक्षिक	आंशिक आवासीय मिश्रित क्षेत्र आंशिक 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना मार्ग की चौड़ाई के अन्तर्गत एवं शेष भाग शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
388	आंशिक शैक्षिक एवं आंशिक रूप से 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना महायोजना मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित	आंशिक शैक्षिक संस्थायें एवं आंशिक 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना रोड की चौड़ाई के अन्तर्गत
389	शैक्षिक	शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें

390	शैक्षिक	उपरोक्तानुसार
391	शैक्षिक	उपरोक्तानुसार
392	शैक्षिक एवं आंशिक रूप से 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना महायोजना मार्ग से प्रभावित	आंशिक शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें एवं आंशिक रूप से 60मी० चौड़े मेरठ मवाना महायोजना की चौड़ाई से प्रभावित
393	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
394	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
395	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
396	आंशिक आवासीय (मध्यम घनत्व) आंशिक शैक्षिक एवं आंशिक 60 मी० चौड़े मेरठ मवाना महायोजना मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित	आंशिक भाग शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें, आंशिक उद्योग, आंशिक 45मी० चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग एवं आंशिक मेरठ मवाना महायोजना मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित
401	आंशिक आवासीय (मध्यम घनत्व) आंशिक शैक्षिक	आंशिक 45 मी० चौड़े महायोजना मार्ग एवं आंशिक शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
402	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
403	शैक्षिक	शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
404	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
405	आंशिक आवासीय (मध्यम घनत्व) आंशिक शैक्षिक	आंशिक आवासीय मध्य घनत्व, आंशिक शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
406	शैक्षिक	शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें
407	शैक्षिक	उपरोक्तानुसार
408	आंशिक शैक्षिक एवं आंशिक आवासीय (मध्यम घनत्व)	शैक्षिक संस्थायें एवं सामुदायिक सुविधायें, आंशिक मिश्रित आवासीय क्षेत्र
409	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
412	आवासीय (मध्यम घनत्व)	मिश्रित आवासीय क्षेत्र
413	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
414	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
517	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
521	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

522	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
523	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
524	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
525	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
526	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
527	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
528	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
529	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
530	उपरोक्तानुसार	आंशिक मिश्रित आवासीय एवं आंशिक 45 मी० चौड़े महायोजना से प्रभावित
531	उपरोक्तानुसार	आंशिक मिश्रित आवासीय क्षेत्र एवं आंशिक 45 मी० चौड़े महायोजना से प्रभावित
554	आंशिक आवासीय (मध्यम घनत्व) एवं आंशिक शैक्षिक	आंशिक शैक्षिक संस्थाये एवं सामुदायिक सुविधाये आंशिक 45 मी० चौड़े प्रस्तावित महायोजना मार्ग एवं आंशिक उद्योग भू-उपयोग के अन्तर्गत

स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास करने से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करना आवश्यक है। मेरठ महायोजना-2021 (प्रारूप) में दर्शित भू-उपयोग परिवर्तनीय है।

 07/12/21

सहायक नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।